पत्र संख्या–15/बि0स0से0–01–03/2018 सा0प्र0 474 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष एवं प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

पटना–15, दिनांक 11.1.19

विषयः– सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न कार्यालय के आदेशों द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत पदस्थापित नव नियुक्त सहायकों के योगदान के संबंध में।

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यालय आदेश ज्ञापांक 498 दिनांक 01.12.2018, 514 दिनांक 07.12.2018 एवं 08 दिनांक 04.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक कार्यालय आदेशों द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत नव नियुक्त सहायकों का पदस्थापन किया गया है। उक्त कार्यालय आदेशों की कंडिका–5 में वर्णित "संबंधित विभाग/कार्यालय पूर्व से सेवारत नवनियुक्त सहायकों के योगदान स्वीकृति/वेतनादि की निकासी की कार्रवाई त्याग–पत्र स्वीकृति आदेश/विरमन आदेश की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे" का अनुपालन किस आधार पर किया जाय, के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा दिशा–निर्देश की अपेक्षा की गई है।

उक्त संबंध में निदेशानुसार स्पष्ट करना है कि पदस्थापित नवनियुक्त सहायकों से पूर्व में उनके सेवारत् रहने के संबंध में घोषणा प्राप्त कर तदनुसार कंडिका–05 के अनुपालन की कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

11.1.19

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।